

माननीय मुख्यमंत्री के राहत कोष से अनुग्रह अनुदान के लिए
आवेदन पत्र

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

.....

.....

विषय:— जहरीली शराब पीने से की हुई मृत्यु के कारण
अनुग्रह अनुदान प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

मैं जिलान्तर्ग प्रखंड..... के
ग्राम/मुहल्ला में घटित जहरीली शराब कांड में मृतक स्व०
की पत्नी/पुत्र/पुत्री हूँ जो आर्थिक रूप से उन पर आश्रित हूँ। उनके सिवा मेरे
परिवार में अन्य कोई धर्नाजन करने वाला व्यक्ति अथवा धर्नाजन का स्रोत नहीं है।
जिससे सदस्यों वाले मेरे परिवार का भरण-पोषण हो सके।

2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे साथ मेरा सभी परिवार शराब बंदी के
समर्थन में है और इसके लिये अन्य लोगो को भी प्रेरित करेंगे। साथ ही, जहरीली
शराब से हुई मृत्यु के संबंध में संबंधित वाद के अनुसंधान में पूरा सहयोग करूँगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे परिवार के भरण-पोषण के लिये मुख्यमंत्री
सहायता कोष से 4 (चार) लाख रुपये अनुग्रह अनुदान प्रदान कराने की कृपा की
जाय।

विश्वासभाजन,

नाम:—

पूरा पता:—